अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 25 / 2015

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,छपरा।)

बनाम

अशोक कुमार गुप्ता एवं अन्य

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.12.2015	अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, के पत्रांक 1825 दिनांक 26.11.2015 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किए गए कागजातों (प्राथमिकी हेतु आवेदन, जप्ती सूची, एवं जिम्मेनामा) का परिसीलन किया गया। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 13.10.2015 को मशरख प्रखंड अंतर्गत डुमरसन बाजार स्थित अशोक कुमार गुप्ता के यहॉ छापामारी के कम मं 22 कि0 ग्रा0 का पैक बोरी 186 (40.90 क्विटंल), 22 कि0 ग्रा0 का पैक बोरी 86 (18.90 क्विंटल) 40 कि0 ग्रा0 का खुला बोरी 66 (26.40 क्विंटंल), 46 कि0 ग्रा0 का खुला बोरी 50 (23.92 क्विंटल), 45 कि0 ग्रा0 का खुला बोरा 51 (22.95 क्विंटल) 20 कि0 ग्रा0 का खुला बोरी 27 (5.40 क्विंटल) सहित बोरा सिलने वाला मशीन 2 (दो) अद्द, वजन मशीन 1 (एक) अद्द तथा ब्राड अंकित नया खाली बोरी 80 (अस्सी) अद्द जप्त किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक भारतीय खाद्य निगम के चावल को अवैद्ध रूप से कालाबाजारी के आरोप में अशोक कुमार गुप्ता उर्फ अशोक साह पिता योगेन्द्र साह ग्राम	

फरदहियॉ डुमरसन बाजार एवं हरिशंकर भगत पिता शिवनाथ भगत ग्राम लगूनी थाना पानापुर बबन नट पिता राजमंगल नट ग्राम सिसई थाना मशरख तथा ललन राय पिता सूरज राय ग्राम कर्ण कुदरिया के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–07 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा प्रेषित **अपने उक्त प्रस्ताव में कही भी प्राथमिकी से संबंधित कांड संख्या का उल्लेख नही किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।** निर्देश है कि **इससे संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए।** साथ ही, **भविष्य में इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जाए।**

चूंकि जप्त सामग्री नष्ट होने वाला पदार्थ है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए–2) के अन्तर्गत उचित दर पर विकी हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, को प्राधिकृत किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को आदेश दिया जाता है कि **यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो** तो वे जप्त सामग्री को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा विकी कराकर विकय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर प्रषित करना सुनिश्चित करे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7 EC सारण, छपरा से अनुरोध है कि वे उक्त थाना कांड से संबंधित वाद के माननीय न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात् उसकी प्रगति के सबंध में पाक्षिक प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करेंगे ताकि समय–समय पर तदनुसार यथोचित आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा सकें।

अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के माध्यम से सभी संबंधित को इस आदेश का तामिला कराया जाए।

अभिलेख 28.01.2015 को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

10/12/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/12/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 992 / न्या0, दिनांक 10/12/15

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि संलग्न नोटिस एवं पत्रों का तामिला संबंधित को कराकर एक सप्ताह के अंदर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः—विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7 ई0सी0,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— थानाध्यक्ष, मशरख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

10/12/15